Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संगीता कुम्भारे*

*सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था देश की विकेन्द्रीकृत नीति के अंतर्गत स्थापित हुई है। पंचायती राज के रूप में यह विषय मध्यप्रदेश को पंचायती राज व्यवस्था और उसके वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर केंद्रित है। छतरपुर जिले के कुल चयनित पंचायतों को उद्देश्य बना कर इसमें इन पंचयतो के आर्थिक प्रबंधन, बजटरी व्यवस्था और वित्तीय स्रोतों का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। पंचायती राज का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता देना है। ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। पंचायती राज व्यवस्था भारत की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। जो ग्राम पंचायतों को अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ प्रदान करती है। इस विश्वास के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास और प्रबंधन सम्बन्धी निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था की शुरुआत भारत सरकार के 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार हुई थी जिसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियों का वितरण था।

पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण अंग है। 73वें संविधान संशोधान के बाद, यह व्यवस्था और सशक्त हुई है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पंचायती राज का उद्देश्य जिलों अंचलों और गांवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। भारत में पंचायती व्यवस्था केवल स्वतंत्रता के बाद की घटना नहीं है। वास्तव में, ग्रामीण भारत में प्रमुख राजनीतिक संस्था सदियों से ग्राम पंचायत रही है। प्राचीन भारत में, पंचायतें आमतौर पर कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली निर्वाचित परिषदें होती थीं। विदेशी प्रभुत्व, विशेष रूप से मुगल काल और ब्रिटिश काल के समय में प्राकृतिक, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने ग्राम पंचायतों के महत्व को कम कर दिया था। हालाँकि, स्वतंत्रता-पूर्व काल में, पंचायतें गाँव के बाकी हिस्सों पर उच्च जातियों के प्रभुत्व के साधान थी, जिसने सामाजिक-आर्थिक स्थिति या जाति पदानुक्रम के आधार पर विभाजन को और बढ़ा दिया।

हालाँकि, संविधान के प्रारूपण के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज प्रणाली के विकास को गति मिली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है: 'राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।'

कुँजी शब्द – ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, वित्तीय मूल्याकंन, बजट आय-व्यय लेखा परीक्षण निधियों का प्रबंधन, विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक संस्चना।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था देश की विकेन्द्रीयकृत नीति के अन्तर्गत स्थापित हुईहै। पंचायती राज के रूप में ये विषय मध्यप्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था और उसके वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर केन्द्रीत है। छतरपुर जिले के कुछ चयनित पचायतों को उद्देश्य बना कर इसमें इन पंचायतो को आर्थिक प्रबंधन बजंहरी व्यवस्था और वित्तीय स्रोतों का अध्ययन किया गया है। पंचायती राज का उदेश्य ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता देना है। ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वतंत्रता से पूरा कर सके।

पंचायती राज व्यवस्था भारत की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जो ग्राम पंचायतो को अधिकार एवं जिम्मेदारिया प्रदान करती है। इस विश्वास के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। मध्यप्रदेश में इस व्यवस्था की शुरुवात भारत सरकार के 73 वे संविधान संशोधन के अनुसार हुई थी जिसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियों का वितरण किया गया था।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज – मध्य प्रदेश में पंचायती राज का तात्पर्य गांव के स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था से है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 और 1993 द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए अधिनियम पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज को ग्रामीण विकास और नागरिक केंद्रित शासन का दायित्व सौंपा गया है।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास:

1. जनवरी 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की। इसका गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के कामकाज की जांच के लिए किया गया था।
2. मेहता समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करते हुए लोकतांत्रिक

विकेन्द्रीकरण की सिफारिशें की। बाद में, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पर मेहता समिति की सिफारिशों की प्रयोज्यता की जांच के लिए 15 सदस्यीय पाण्डे समिति का गठन किया। पाण्डे समिति ने मेहता समिति की सिफारिशों से सहमति व्यक्त की। पाण्डे समिति की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 पारित किया।

3. भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पारित किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया।

4. मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 26 जनवरी 2000 को मध्य प्रदेश श्ग्राम स्वराजश स्थापित करने वाला पहला राज्य भी बना।

जैसा कि शोध का शीर्षक यमध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में) है। किसी संगठन की वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वित्तीय साधनों के सभी पहलुओं का मुख्य रूप से अधययन किया जाता है इसीलिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय स्थिति को समझने की आवश्यकता है।

इस शोध में छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में वित्तीय मूल्यांकन का अध्ययन किया जायेगा जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास को निर्धारित किया जा सके और इस विकास में पंचायतों के महत्व को निर्धारित किया जा सके। जिसके द्वारा नई योजनाऐं और नीतियों के विकास के लिए प्रारूप तैयार किया जा सके।

शोध अंतराल – साहित्य समीक्षा में मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय विश्लेषण के पहलुओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। और इसीलिए यहां छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में वित्तीय सुदृढ़ता और विकास का एक साथ विश्लेषण किया जायेगा। शोध का मुख्य फोकस वित्तीय प्रदर्शन पर रहेगा और चयनित पंचायतों की वित्तीय गतिविधियां, क्षेत्र के विकास में कैसे योगदान करती है? इत्यादि विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जायेगा। हालांकि छतरपुर जिले की पंचायतों का वित्तीय मूल्यांकन दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई नीतियों और योजनाएँ लागू की गई हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव अभी भी सीमित है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और उत्तारदायी बनाने की आवश्यकता है।

वित्तीय विकेंद्रीकरण: वित्तीय विकेंद्रीकरण का अर्थ है स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इस प्रक्रिया में पंचायतों को योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। छतरपुर जिले में पंचायतों को राज्य और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार होना, क्षमता की कमी और स्थानीय राजनीति।

वित्तीय चुनौतियाँ और अवसर: पंचायती राज संस्थाओं को अक्सर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। छतरपुर जिले की पंचायतों में भी संसाधनों की कमी है। समय पर फंड का आवंटन न होना और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ देखी गई हैं। इसके बावजूद कुछ पंचायतें अपने स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग करके विकास कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है।

सिफारिशें

1. पंचायतों को वित्तीय योजनाओं के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
2. स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
3. वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए निगरानी तंत्र को सशक्त बनाया जाए।
4. यह साहित्य समीक्षा छतरपुर जिले की पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करती है जो कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक हैं।

शोध के उद्देश्य – उद्देश्य वह है जिसे हम पाना चाहते है, जब भी कोई कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो सर्वप्रथम लक्ष्य या उद्देश्य पहले से ही निर्धारित कर लिये जाते हैं ताकि कार्य में गम्भीरता आ सके और शोध कार्य अपनी निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़े एवं जो अनुसंधान को दिशा प्रदान करें।

1. छतरपुर जिले की पंचायतों में वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग की जांच करना।
2. छतरपुर जिले की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय विकेंद्रीकरण का आकलन करना।
3. छतरपुर जिले की पंचायतों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की मात्रा और उनकी आबंटन प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
4. छतरपुर जिले की पंचायतों द्वारा विकास कार्यों पर वित्तीय निवेश के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति का मूल्यांकन करना।
6. पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के प्रयासों का मूल्यांकन करना।
7. पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन करना।
8. मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था छतरपुर जिले के अंतर्गत वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना है।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वायत्ताता और विकास को बढ़ावा देना है। 73वें संविधान संशोधन के माधयम से पंचायतों को राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए जिससे वे स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदार बन सकें। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्ताता और संसाधनों का नियंत्रण भी सौंपा गया है।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य छतरपुर जिले की पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के उपयोग की गहराई से जांच करना है। यह अध्ययन इस बात की स्पष्टता प्रदान करेगा कि किस प्रकार से वित्तीय संसाधनों का आवंटन और प्रबंधन पंचायतों में किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विकास कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

शोध की परिकल्पनाएँ – शोध हेतु किसी भी विषय का चयन तब किया जाता है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना हो। इस हेतु उद्देश्य को सार्थक सिद्ध करने के लिए एक सुव्यवस्थित वाक्य रूप परिकल्पना मानी जाती है। परिकल्पना एक विचार दशा या सिद्धांत होती है जो संभवत: बिना किसी विश्वास के साथ स्वीकार कर ली जाती है। जिससे कि उसके तार्किक परिणाम

निकाले जा सके और निर्धारित किये जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जाँच की जा सके। परिकल्पना शोध कार्य को निश्चितता प्रदान करती है।

शोध की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित होगी:

1. छतरपुर जिले की पंचायतों में वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप विकास कार्यों में कमी आई है।
2. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी के कारण संसाधनों का दुरुपयोग होता है।
3. वित्तीय विकेंद्रीकरण के बावजूद, छतरपुर जिले की पंचायतों में वित्तीय समस्याओं और प्रशासनिक चुनौतियों में सुधार नहीं हुआ है।

शोध प्रविधि – शोध प्रारूप एक वैचारिक संरचना है जिसके साथ शोध किया जाता है। यह समंक के संग्रह, माप और विश्लेषण का एक ब्लू प्रिंट है। वर्तमान शोध मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में) पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। शोध अध्ययन शोध विषय की रीतियों का चुनाव करना आवश्यक है। विषय के अध्ययन व अनुसंधान मे सांख्यिकीय रामंक एकत्र करना जरुरी रहता है। सांख्यिकीय समंक एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यही एक शोध की महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। जिस पर अनुसंधान रुपी भवन निर्मित होता है। यदि यह दोष पूर्ण रहता है तो परिणाम भी दोष पूर्ण रहेगें इसलिए समंको को एकत्र करने से पहले कई बातों को ध्यान में रखना और उसके अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। सांख्यिकीय अनुसंधान का पूर्व आयोजन ही इसकी सफलता एवं श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है।

कुछ इकाइयों के आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण समस्या का अध्ययन किया जा सकता है संग्रहण के विचार से समंक दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंक।

1. प्राथमिक समंक– प्राथमिक समंक वे समंक है जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। हो सकता है कि उस विषय के संबंध में आंकड़े पहले भी इकट्ठा किए गए हो तो अनुसंधान कर्ता अपने प्रयोग में लाने के लिए आरंभ से अंत तक समंक नए सिरे से एकत्रित करता है। चूंकि अनुसंधान कर्ता द्वारा प्रथम बार संकलित किए जाते हैं इसलिए इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। प्राथमिक समंक संकलन से पूर्व शोध विषय से संबंधित विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर उनके सुझावों को आधार मानकर प्रश्नावली, प्रत्यक्ष साक्षात्कार आदि से अनुसूची तैयार करके इनके अलावा सैंपलिंग, अवलोकन एवं सर्वेक्षण इत्यादि जिनका उपयोग करके अपने शोध प्रबंध के लिए शोध सामग्री एकत्रित की जायेगी शोध से संबंधित अध्ययन क्षेत्रों का परीक्षात्मक विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाएगा।

2. द्वितीयक समंक– शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक समंक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो पहले से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित किया जा चुका होता है। एक अनुसंधानकर्ता उनको अपने प्रयोग में लाता है। यहां वह संग्रह नहीं करता है वरन् किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री को प्रयोग में लाता है तो इस प्रकार के समंक को द्वितीयक समंक कहा जाता है। द्वितीयक समंक सामग्री वह है जिसे मौलिक स्रोतों से प्राप्त करने के बाद एकत्रित किया जाता है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु द्वितीयक समंक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द्वितीयक समंकों के द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में) की वार्षिक रिपोर्ट शैड्यूल अध्ययन से संबंधित पत्र–पत्रिकाएं, शोध पत्र, समाचार पत्र, वेबसाइट, जनरल एवं अन्य प्रकाशित समंक शोध के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों के लगातार कार्यकाल से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

शोध उपकरण और तकनीक – वर्तमान शोध के लिए वित्तीय आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विभिन्न उपकरणों या तकनीकों का उपयोग किया जायेगा। इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

1. वित्तीय उपकरण/तकनीक
2. सांख्यिकीय उपकरण / तकनीक

1. वित्तीय उपकरण/तकनीक: वित्तीय प्रदर्शन के अध्ययन और विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन उपकरण

i. बैलेंस शीट और आय विवरण का तुलनात्मक विवरण
ii. बैलेंस शीट और आय विवरण का सामान्य विवरण
iii. प्रचलन विश्लेषण
iv. अनुपात विश्लेषण

2. सांख्यिकीय उपकरण/तकनीक: शोध की प्रकृति और मांग के अनुसार कुछ सांख्यिकीय उपकरणों / तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

सांख्यिकीय उपकरण :–

i. **माध्य**
ii. **राह – संबंध**

ये सभी बुनियादी सांख्यिकीय उपकरण हैं जिनका उपयोग सांख्यिकीय उपकरण के रूप में किया जायेगा और परिकल्पना का परीक्षण 5% स्तर के महत्व पर किया जायेगा। एमएस–एक्रोल और एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का उपयोग अध्ययन को आसान करने के लिए किया जायेगा और प्रस्तुति की आवश्यकता के अनुसार ग्राफ और चार्ट के मात्रात्मक सर्मक के उपयोग की गणना भी की जायेगी।

निष्कर्ष – एक वित्तीय प्रदर्शन, बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि खाते का विश्लेषण है। जिसके अंतर्गत पंचायतों की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता के साथ–साथ शोधन क्षमता, तरलता, वित्तीय जोखिम, पूंजी मिश्रण और कार्यशील पूंजी का वित्तीय प्रदर्शन की एक इकाई के अंतर्गत विश्लेषण किया जायेगा। यह पूंजी के बेहतर स्रोतों और अनुप्रयोगों को भी इंगित करेगा। वित्तीय प्रदर्शन, किसी संगठन की समग्र दक्षता, वित्तीय जोखिम और शोधन क्षमता की स्थिति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है।

उपरोक्त सभी पहलू किसी भी संगठन के वित्तीय विवरण के प्रमुख योगदानकर्ता हैं। इन सभी पहलुओं का उचित उपयोग, बेहतर प्रबंधन का गार्ग प्रशस्त कर सकता है जो अंतत: संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत मदद्गार हो सकता है। शोध पंचायती क्षेत्र के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि यह शोध पंचायती विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। शोध अध्ययन के निष्कर्ष योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हित धारकों के लिए सहायक होंगे जो पंचायती क्षेत्र के विकास से संबंधित हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Ajit Kumar Jain, Local Government of Finance in India, Proceedings of the National Conference on Emerging

Trends in Indian Local Government Finance held at National Institute of Rural Development, October, 20-25, Hyderabad, 1996.
2. Anil, K. Singh, State Panchayati Acts: A Critical Review, Voluntary Action Network India, New Delhi, 1995.
3. Arjun Y. Darshankar, Leadership in Panchayati Raj: A Study of Beed District of Maharastra, Panchsheel Prakashan, Jaipur, 1979.
4. Aronson, J. Richard and Hilley L-John, Finance State and Local Governments, The Brooking Institution, Washington, 1986.
5. Barnabas, A.P. and O.P. Bhora, Finances of Panchayati Raj Institutions Case Studies, MO [F], Mimeo, May, New Delhi, 1995.
6. Battacharya, S-N, Community Development - An Analysis of the Programme in India, Academic Publications, Calcutta, 1970.
7. Bhargava, B-S, Politico-Administrative Dynamics in Panchayati Raj System, Ashish Publishing House, New Delhi, 1978.
8. Chief Planning Office, Handbook of Statistics 2008-2009.

****